न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 24/2022

बउनवान

1. लालचन्द आयु 52 वर्ष
2. श्यामसुन्दर आयु 48 वर्ष
   पुत्रगण श्री ओमप्रकाश जाति तेली निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील व जिला बारां

(अपीलांटगण)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां, जिला बारां
2. ओमप्रकाश आयु 60 वर्ष पुत्र श्री शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी श्यामपुरा हाल बाहरी दरवाजा वार्ड नं. 8 छबड़ा जिला बारां
3. दीपक आयु 42 वर्ष पुत्र श्री शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी श्यामपुरा हाल बाहरी दरवाजा वार्ड नं. 8 छबड़ा जिला बारां
4. शीला बाई आयु 73 वर्ष पत्नि श्री शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी श्यामपुरा हाल बाहरी दरवाजा वार्ड नं. 8 छबड़ा जिला बारां
5. भावना आयु 33 वर्ष पुत्री श्री शंकरलाल पत्नि श्री ज्योतिप्रकाश जाति मेघवाल निवासी छबड़ा हाल कांकड़दा तहसील किशनगंज जिला बारां
6. लक्ष्मी आयु 40 वर्ष पुत्री श्री शंकरलाल पत्नि श्री नितेश जाति मेघवाल निवासी छबड़ा हाल निवासी गली नं. 3 नन्दा नगर, इन्दौर, मध्यप्रदेश
7. सीमा आयु 44 वर्ष पुत्री श्री शंकरलाल पत्नि श्री धनराज सिंह जाति मेघवाल निवासी छबड़ा हाल निवासी सिटी पुलिस लाईन कोटा जिला कोटा (राज.) **(रेस्पोडेन्टगण)**

अपील विरूद्ध नामान्तरण कमांक 647 आदेश दिनांक 20.12.2021 तहसीलदार बारां अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

उपस्थिति :– 1. श्री हेमराज बैरवा एडवोकेट **(अपीलांटगण)**
2. श्री बाबूलाल जैन एडवोकेट **(रेस्पोडेन्टगण)**

निर्णय दिनांक 23.11.2022

अपीलांटगण की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम श्यामपुरा, तहसील बारां में आराजी साबिक खसरा नं. 803/340 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 310 रकबा 1.10 है. अपीलांट के पिता श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री गोपीलाल जाति तेली निवासी श्यामपुरा ने खातेदार श्री बनवारी पुत्र श्री जगन्नाथ, हजारा पुत्र श्री भंवरया उर्फ कंवरया, गेन्दी बेवा श्री भंवरया उर्फ कंवरया के शामलाती खाते की दिनांक 27.02.1969 को बिल एवज 800/– रूपये खरीद की थी ... के आधार पर केता के नाम राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के खातेदार की आराजीयात को सवर्ण के खाते दर्ज न करने के आदेश आ जाने के कारण इसका ... नहीं हुआ। अपीलांटगण के पिता का कय तिथि से पूर्व से ही उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा चला आ रहा था। अपीलांटगण के पिता की मृत्यु दिनांक 06.09.1976 को हुई तत्समय अपीलांटगण नाबालिग थे इसलिये उक्त विक्रय पत्र के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं कर सके। परन्तु अपीलांटगण का विवादित आराजीयात पर आज भी कब्जा काश्त बिना किसी बाधा के चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट कम 2 ता 7 ने बनवारीलाल पुत्र श्री जगन्नाथ जाति मेघवाल के वारिसान बनकर इन्तकाल नं. 647 दिनांक

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.12.23 17:56:10 IST
Reason: SelfAttested

20.12.2021 गलत रूप से तस्दीक करवा लिया जबकि उक्त आराजीयात में रेस्पोडेन्टगण के दादा व हजारा गेन्दीबाई के शामलाती खाते की थी परन्तु रेस्पोडेन्टगण ने विवादित आराजीयात पर अपना कब्जा काश्त बताकर अपने नाम फर्जी तरीके से इन्तकाल तस्दीक करवाया है जबकि रेस्पोडेन्टगण का विवादित आराजी में हिस्सा 1/3 निहित था जिसको रेस्पोडेन्टगण के दादा बनवारीलाल ने अपीलांटगण के पिता को बेचान कर दिया था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया इन्तकाल नं. 647 दिनांक 20.12.2021 निरस्त फरमावें।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तलब करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 ता 7 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया। हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी अपीलांटगण के पिता श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री गोपीलाल ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.02.1969 को क्रय की थी परन्तु तत्समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी का उल्लंघन बताते हुए राजस्व कर्मियों ने इन्तकाल नहीं खोला। प्रकरण में यदि धारा 42 बी का उल्लंघन माना गया था तो तहसीलदार बारां को अन्तर्गत धारा 175 आर.टी.ए. की कार्यवाही करनी चाहिये थी परन्तु उनके द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। रेस्पोडेन्टगण के पिता की मृत्यु होने पर फौती इन्तकाल रेस्पोडेन्टगण 2 ता 7 के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि उक्त आराजी अपीलांट के पिता द्वारा क्रयशुदा आराजीयात है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया इन्तकाल नं. 647 दिनांक 20.12.2021 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्टगण ने कथन किया कि अपीलांटगण द्वारा फौती इन्तकाल के विरूद्ध अपील पेश की है। रेस्पोडेन्टगण के पिता की मृत्यु होने पर अपीलाधीन नामान्तरण वारिसान के नाम दर्ज किया है। अपीलांटगण द्वारा वारिसान को चुनौती नहीं दी गई है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मुताबिक आराजी खसरा नंबर 208/340 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा श्री बनवारी पुत्र श्री जगन्नाथ, हजारा पुत्र श्री भंवरया उर्फ कंवरया, गेन्दी बेवा श्री भंवरया उर्फ कंवरया जाति मेघवाल से श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री गोपीलाल जाति तेली द्वारा क्रय की गई। उक्त क्रय धारा 42 बी आरटीए के प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण क्रेता का नाम उक्त आराजीयात पर दर्ज नहीं हुआ। अपीलांटगण का कथन है कि विवादित आराजीयात पर उनका कब्जा चले आने के बाद भी नामान्तरण गलत रूप से तस्दीक किया गया है। जबकि अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 647 श्री शंकरलाल पुत्र बनवारीलाल मेघवाल के वारिसान के हक में खोला गया है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होना नहीं माना जा सकता। यदि विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांटगण विवादित आराजी में अपना किसी प्रकार का हक व हिस्सा होना मानते हैं तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.12.23 17:56:10 IST
Reason: SelfAttested

उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट की आधारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर बारां
जिला कलेक्टर
बारां (राज०)